## यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

**पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)**

रण संख्या : 30 / 2024

यर दिनांक : 20 / 05 / 2024

र्णय दिनांक : 19 / 12 / 2024

**उनवान**

1. भंवरसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी बल्ला की भागल तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. उदयसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी बल्ला की भागल तहसील भूपालसागर
2. मानसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी बल्ला की भागल तहसील भूपालसागर
3. गोविंदसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी बल्ला की भागल तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम** बल्ला की भागल **प0 ह0** कानरखेडा **तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल खाता संख्या 27 आराजी न0 11 रकबा 0.15 है0, आराजी न0 15 रकबा 0.19 है0 आराजी न0 16 रकबा 0.39 है0 आराजी न0 17 रकबा 0.72 है0 आराजी न0 24 रकबा 0.15 है0 आराजी न0 25 रकबा 0.44 है0 आराजी न0 28 रकबा 0.48 है0 आराजी न0 29 रकबा 0.16 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.68 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विवाराधीन नही हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:24:32 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत [illegible] गेलडा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर